

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30.09.2022

कमांक एफ 1-17/2022/38-1:: राज्य शासन, एतद् द्वारा, निम्नलिखित प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए कॉलम-6 में स्थानान्तरित कर पदस्थ करता है:-

क.	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	स्थानांतरण का प्रकार	प्रस्तावित पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5	6
1	डॉ. श्यामलाल निराला	प्राचार्य	नवीन शासकीय महाविद्यालय सकरी, जिला -बिलासपुर	स्वैच्छिक	शासकीय जे.पी. वर्मा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय विलासपुर, जिला- बिलासपुर
2	डॉ. एस.एस. अग्रवाल	प्राचार्य	शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला -सूरजपुर	स्वयं के व्यय पर	शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला-सरगुजा
3	डॉ. एस.आर. कमलेश	प्राचार्य	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर एवं अतिरिक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर संभाग बिलासपुर	आपसी	शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर जिला -बिलासपुर
4	श्रीमती ज्योति रानी सिंह	प्राचार्य	शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर जिला -बिलासपुर	आपसी	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर, जिला- बिलासपुर
5	श्रीमती आर. आर. राजपूत (रेखा रानी राजपूत)	प्राचार्य	डा. भंवर सिंह पोर्ते शासकीय महाविद्यालय पेण्ड्रा, जिला गौरेल-पेण्ड्रा-मरवाही	प्रशासनिक / शिकायत	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सारागॉव, जिला - जांजगीर बापा

कमश.....पेज 2

6	डॉ. श्रीमती ए. आर.सी. जेम्स	प्राचार्य	वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गरियाबंद, जिला -गरियाबंद	स्वयं के व्यय पर	शास. दाउ कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला-बलौदा बाजार
7	डॉ. राजेश कुमार दुबे	प्राचार्य	शासकीय महाविद्यालय खरोरा, जिला रायपुर	स्वयं के व्यय पर	शहीद राजीव पाण्डेय शास. महाविद्यालय भाठागांव, जिला-रायपुर
8	डॉ. आई.पी. गुप्ता	प्राचार्य	वीरांगना अवंती बाई लोधी शासकीय महाविद्यालय पथरिया, जिला मुंगेली	प्रशासनिक/ शिकायत	शासकीय महाविद्यालय, जनकपुर, जिला-कोरिया

2/ उपरोक्त सभी स्थानांतरण वर्ष 2022 के लिए जारी स्थानांतरण नीति में निहित प्रावधान के अंतर्गत किये गये हैं। स्थानांतरित कर्मचारी नवीन पदस्थापना स्थल में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण होने पर उसके स्थान पर एवजीदार के उपस्थिति के उपरांत ही उसे कार्यमुक्त किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.ए.नेमलकर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1/27/2022/38-1
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 08.09.2022

- 1 अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर
- 2 उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
- 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
- 4 महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
- 5 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छ.ग. रायपुर।
- 6 क्षेत्रीय अपर संचालक, संभाग-.....(छ.ग.)
- 7 संबंधित कलेक्टर, जिला -.....(छ.ग.)
- 8 संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला-.....(छ.ग.)
- 9 संबंधित प्राचार्य -.....(छ.ग.)
- 10 संबंधित -.....(छ.ग.)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 11 आदेश फोल्डर

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग